<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (<u>पीठासीन अधिकारी — श्रीमती मीना शाह</u>)

_ <u>व्य.वाद.</u> कमांक:— 70ए / 16 संस्थापन दिनांक:—29 / 09 / 16 फाईलिंग नं. 4003492016

- 1. राजेश पिता गंगाराम फाटे, उम्र 34 वर्ष,
- 2. कमलेश पिता गंगाराम फाटे, उम्र 28 वर्ष,
- गंगाराम पिता कारू फाटे, उम्र 62 वर्ष सभी निवासी ग्राम सोनेगांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>वादीगण</u>

वि क्त द्व

- गणेश पिता माधोराव, उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नं. 06 आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- मारूति पिता कारू फाटे, उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सोनेगांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- लक्ष्मण पिता कारू फाटे, उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड नं. 03 नगर पालिका के पास सारणी, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. मानकी पिता कारू, उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम ब्राम्हणवाड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- दौलत पिता रामू, उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम सोनेगांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 6. वासुदेव पिता रामू, उम्र 52 वर्ष निवासी बस स्टेंड मजार के पास आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 7. सुखदेव पिता रामू, उम्र 50 वर्ष
- 8. प्रहलाद पिता राम्, उम्र 48 वर्ष
- 9. मीरा पिता रामू, उम्र 58 वर्ष क. 7 से 9 निवासी ग्राम सोनेगांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 10. दुर्गा पिता रामू, उम्र 56 वर्ष

निवासी छात्रावास के पास बस स्टेंड आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

- 11. परभा पिता रामू, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम नाहिया, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 12. तहसीलदार आमला, तहसील कार्यालय आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 13. नायब तहसीलदार वृत्त बोरदेही, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 14. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

<u> -: (आदेश) :-</u>

(आज दिनांक 21.12.2016 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क. 01 एवं 02 के द्वारा ग्राम सोनेगांव तहसील आमला जिला बैतूल में स्थित विवादित भूमि ख.नं. 103 / 1, 103 / 2, 6 / 1, 6 / 2, 17 / 1, 17 / 2 एवं 21 में से ख.नं. 103 रकबा 1.562 हे. में से 0.890 हे. तथा ख.नं. 6 रकबा 0.401 हे. में से 0.202 हे. तथा ख. नं. 17 का संपूर्ण रकबा 0.304 हे. रिजस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.08.1995 के द्व ारा विकेता कारू पिता यादो कुन्बी से क्रय कर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त किया गया। वादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में लेख चौहद्दी के अनुसार विवादित भूमि पर काबिज हैं। विवादित भूमि के संबंध में वादीगण के द्वारा तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतू आवेदन दिया गया था जो कि अस्वीकार किया गया। तत्पश्चात वादी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें क्रय की गयी भूमि वादीगण के नाम पर नामांतरित किये जाने का आदेश किया गया जो कि अपर आयुक्त होशंगाबाद एवं राजस्व मण्डल ग्वालियर के द्वारा भी यथावत रखा गया। प्रतिवादी क. 02 एवं 03 के द्वारा प्रतिवादी क. 01 को दिनांक 03.12.1996 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विवादित भूमि ख.नं. 6 रकबा 0.401 में से 0.292 हे. ख.नं. 17 रकबा 0.304 हे. में से 0.118 हे., ख.नं. 21 में से रकबा 0.178 हे. ख.नं. 103 रकबा 1.562 हे. में से 0.591 हे. कुल 1.179 हे. भूमि का विक्रय कर दिया गया है। उक्त विक्रय पत्र

वादीगण पर बंधनकारक नहीं है। विवादित भूमि पर वर्तमान में मात्र प्रतिवादी क. 01 का नाम दर्ज है। अतः प्रतिवादी वादीगण को उनके स्वत्व की भूमि से वंचित कर सकता है। अतः प्रकरण के निराकरण तक प्रतिवादी को विवादित भूमि विकय पत्र या अन्य माध्यम से अंतरित किये जाने हेतु निषेधित किया जाये।

- 3 प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जबाव पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर विक्रय पत्र में लेख चर्तुसीमा अनुसार वादीगण काबिज नहीं हैं तथा वादीगण के द्वारा यह दावा अवधि बाह्य प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि प्रतिवादी क. 01 को विभाजन उपरांत प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी क. 01 के द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का विक्रय प्रतिवादी क. 02 एवं 03 को किया जाकर दिनांक 03.12.1996 को विक्रय पत्र निष्पादित किया गया जिसकी जानकारी वादीगण को प्रारंभ से है तथा उक्त विक्रय पत्र अनुसार प्रतिवादी क. 02 एवं 03 विवादित भूमि पर काबिज भी हैं। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।
- 4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :—
 - 1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
 - क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षिति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

5 वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के माध्यम से ग्राम सोनेगांव की विवादित भूमियां ख.नं. 103 का रकबा 0.890 हे., ख.नं. 6 का रकबा 0.202 हे. एवं ख.नं. 7 का संपूर्ण रकबा 0.304 हे. विक्रेता कारू पिता यादो कुंबी से क्रय किया जाना बताया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 के अवलोकन से उपर्युक्त भूमियां विक्रेता कारू से वादी राजेश एवं कमलेश द्वारा उनके संरक्षक पिता गंगाराम के द्वारा क्रय किया जाना दिशत हो रहा है तथा दस्तावेज खसरा पांचसाला वर्ष 1992 से 1996—97 के अवलोकन से उपर्युक्त भूमियां कब्जेदार व भूमि स्वामी के रूप में विक्रेता कारू के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही हैं। वर्ष 1996 की संशोधन पंजी में उपर्युक्त भूमियां कारू की मृत्यु उपरांत उनके पुत्र व पुत्रियों के नाम वारसाना नामांतरण में आना तथा संशोधन पंजी आदेश दिनांक 17.04.1996 के अनुसार उपर्युक्त भूमियों में क्रय किये गये रकबे पर वादीगण का नाम दर्ज होना प्रकट हो रहा है परंतु तत्पश्चात वर्ष 1997 की संशोधन पंजी,

आदेश दिनांक 24.04.1998 के अनुसार प्रतिवादी क. 01 के द्वारा प्रतिवादी क. 02 एवं 03 के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र दिनांक 03.12.1996 के आधार पर उपर्युक्त भूमियों के क्य किया गया रकबा प्रतिवादी क. 01 गणेश वल्द माधोराव के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है एवं तत्पश्चात के किश्तबंदी एवं खसरा वर्ष 2000 तक के अवलोकन से उपर्युक्त भूमियों पर क्य किये गये रकबे पर प्रतिवादी क. 01 गणेश का नाम एवं शेष रकबे पर कारू की संतान अर्थात वादी क. 03 गंगाराम एवं अन्य पुत्र एवं पुत्रियों का नाम दर्ज होना प्रकट हो रहा है।

- 6 प्रतिवादी क. 02 एवं 03 का यह कहना है कि उन्होंने अपने पिता कारू से विवादित भूमियों के विभाजन उपरांत प्राप्त हिस्से की भूमि का विकय प्रतिवादी क. 01 गणेश को किया है जिस पर प्रतिवादी क. 01 गणेश विकय दिनांक से काबिज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र दिनांक 28.08.1995 अवैध है जिसके आधार पर वादीगण को विवादित भूमियों पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है।
- वादीगण द्वारा ख.नं. 103 के संबंध में प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 28.08.1995 एवं ख.नं. 06 एवं 17 के संबंध में प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 28.08. 1995 रिजस्टर्ड हैं तथा प्रतिवादीगण क. 02 एवं 03 के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1996 के पूर्व का है। विक्रय पत्र की वैधता का निर्धारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। अतः विक्रय पत्र के आधार पर विवादित आराजी पर वादीगण के हित व अधिकार के संबंध में विचारण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न अंतिवलित है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत नगर पालिका परिषद मलाजखंड विरुद्ध हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड 2009(1)एमपीएचटी 48 अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में वादी को स्पष्ट विधिक स्वत्व स्थापित नहीं करना होता है। वादी को केवल यह स्थापित करना होता है कि उसके पक्ष में उसके विधिक अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्व प्रश्न विचारण हेतु अंतिवलित है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

8 वादीगण द्वारा विवादित भूमियों के मात्र विक्रय एवं अन्यथा हस्तांतरण से निषेधित किये जाने की सहायता चाही गयी है। चूंकि विक्रय पत्र दिनांक 03.12.1996 के आधार पर विवादित भूमियां क्रय किये गये रकबे अनुसार प्रतिवादी क. 01 के नाम पर दर्ज है। अतः यदि प्रतिवादी क. 01 के द्वारा विवादित भूमियों का विक्रय किया जाता है तो वाद बाहुल्य बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी क. 01 के द्वारा विवादित भूमियों के विक्रय किये जाने की कोई आवश्यकता भी प्रकट नहीं की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को कोई असुविधा या क्षति होना भी दर्शित नहीं होता है।

अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में प्रमाणित पाया जाता है।

- 9 प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में प्रमाणित पाया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए. नं. 1 स्वीकार कर कर प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण के अंतिम निराकरण तक ग्राम सोनेगांव तहसील आमला जिला बैतूल स्थित विवादित भूमि ख.नं. 103/1, 103/2, 6/1, 6/2, 17/1, 17/2 एवं 21 रकबा क्रमशः 0. 971, 0.591, 0.109, 0.292, 0.186, 0.118 एवं 0.178 कुल रकबा 2.445 स्वयं अथवा अमिकर्ता के माध्यम से विक्रय अथवा अन्यथा अंतरण न करें।
- 10 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल